रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072022-237327
CG-DL-E-16072022-237327

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3047] **नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 2022/आषाढ़ 24, 1944**
No. 3047] **NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2022/ASHADHA 24, 1944**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3205(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4906(अ), दिनांक 30 नवंबर, 2021 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 (पुराना एनएच 50) के नासिक फाटा–खेड़ सेक्शन के 12.190 किमी से 42.000 कि.मी. तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाए) को सौंपा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 और समय-समय पर संशोधित(जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम'' कहा जाए), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का. आ.1760(अ), दिनांक15.12.2005 और अधिसूचना संख्या का.आ. 2743(अ), दिनांक 08.07.2021 के अधिक्रमण में, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के नासिक फाटा से खेड़ सेक्शन के डिजाइन किलोमीटर 12.190 कि.मी. से 42.000 कि.मी तक के सड़क खंड की निवल लंबाई 29.810 कि.मी. के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनो पर नीचे तालिका 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर एतद्वारा शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

तालिका 1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग यंत्र (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.)(चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे वसूल एवं एकत्र किया जाने वाला शुल्क, शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा अर्थात:—

तालिका -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**लंबाई (कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
महाराष्ट्र राज्य(एफ़पी-1) के पुणे जिले में ताल खेड़ में चंडोली गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग -60 (पुराना एनएच-50) के 41.586 कि.मी पर	29.810	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका -1 में उल्लिखित आधार दरों का 40%
महाराष्ट्र राज्य(एफ़पी-2) के पुणे जिले में ताल खेड़ में मोशी गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग -60 (पुराना एनएच-50) के 23.995 कि.मी पर		

2. शुल्क प्लाजा-1(एफपी-1) पर शुल्क का भुगतान करने वाला उपयोगकर्ताओं शुल्क का भुगतान फीस प्लाजा -2 (एफपी -2) पर नहीं करेगा और ठीक इसके विपरीत भी इसी का अनुपालन किया जाएगा।

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/- रूपए (दो सौ पचहत्तर रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

तालिका - 3		
संदेय राशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की दिनांकः से एक माह

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1ए में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमावली के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

[फा. सं. भाराराप्रा/आरओ/मुंबई/टोल/एनएच60/2768/2021-22/]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3205(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 4906(E) dated 30th November,2021 under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988, (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 12.190 to kilometer 42.000 of Nashik Phata-Khed Section of National Highway Number 60 (Old NH 50) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”) and in suppression of the notification bearing no S.O.1760(E) dated 15.12.2005 and S.O. 2743(E) dated 08.07.2021,the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles for net road section length of 29.810 km on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Nashik Phata to Khed Section from design kilometer 12.190 to kilometer 42.000 of National Highway number 60 in the State of Maharashtra and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08** **(in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely: -

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km. 41.586 of National Highway 60 (Old NH-50) near Chandoli Village in Tal Khed in Pune District in state of Maharashtra (FP-1)	29.810	40 % for four and more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
At Km. 23.995 of National Highway 60 (Old NH-50) near Moshi Village in Tal Khed in Pune District in state of Maharashtra (FP-2)		

2. The user paying fees at Fee Plaza-1 (FP-1) shall not pay fees at Fee Plaza-2 (FP-2) and vice versa

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 275.00 (Rupees Two hundred and Seventy Five) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Table-3

Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

[F. No NHAI/RO/MUM/Toll/NH60/2768/2021-22/]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM